भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

**Title:**प्रेस विज्ञप्ति

**Reference No.:--** **Date:**12/02/2018

भारत :- वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम 2017 – विस्तृत निर्धारण रिपोर्टें (डीएआर)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

प्रेस प्रकाशनी

---

भारत **:-** वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम **2017 –** विस्तृत निर्धारण रिपोर्टें **(**डीएआर**)**

2017 भारत:वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम (एफएसएपी) की दो मुख्य रिपोर्टें – वित्तीय प्रणाली स्थिरता निर्धारण (एफएसएसए) और वित्तीय क्षेत्र निर्धारण (एफएसए) क्रमशः अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक द्वारा उनकी वेबसाइटों पर 21 दिसंबर 2017 को जारी की गईं। इसके अनुक्रम में, आईएमएफ और विश्व बैंक ने 2017 भारत एफएसएपी से संबंधित दो विस्तृत निर्धारण रिपोर्टें (डीएआर) जारी की हैं। `अनुपालन का विस्तृत निर्धारण – प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बासेल मुख्य सिद्धांत~ उपलब्ध करानेवाली रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है तथा `भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), केन्द्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) और ट्रेड रिपोज़िटरी (टीआर) के अनुपालन का विस्तृत निर्धारण~ उपलब्ध करानेवाली रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। (हाईपर लिंक यहाँ उपलब्ध हैं)।

DAR – BCP (आईएमएफ की वेबसाइट पर) – http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/01/19/India-Financial-Sector-Assessment- Program-Detailed-Assessment-of-Observance-of-the-Basel-45542

DAR – BCP (विश्व बैंक की वेबसाइट पर) –
http://documents.worldbank.org/curated/en/158741516303040317/India-Detailed-assessment-of- observance-basel-core-principles-for-effective-banking-supervision
DAR – PFMI (विश्व बैंक की वेबसाइट पर) –
http://documents.worldbank.org/curated/en/502811516303508722/India-CPMI-IOSCO-principles- for-financial-market-infrastructures

भारत संयुक्त आईएमएफ-विश्व बैंक टीम द्वारा दी गई इन निर्धारण रिपोर्टों का स्वागत करता है जो उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं।

बासेल मुख्य सिद्धांतों (बीसीपी) के अनुपालन पर उक्त डीएआर पिछले एफएसएपी से लेकर बैंकिंग पर्यवेक्षण को मजबूत करने में की गई उल्लेखनीय प्रगति के लिए रिज़र्व बैंक की सराहना करती है। यह टिप्पणी करती है कि रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण और विनियमन सुदृढ़ रहे हैं तथा हाल के वर्षों में इनमें सुधार आया है। बासेल III के अधिकांश ढाँचे (और संबंधित मार्गदर्शन) को कार्यान्वित किया गया है तथा सहयोग की व्यवस्थाएँ, दोनों देशी तौर पर और विदेशी तौर पर अब सुदृढ़ रूप से विद्यमान हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि 2015 में प्रणाली-व्यापी आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) और विवेकपूर्ण विनियमों का सुदृढ़ीकरण पारदर्शिता के प्रति प्राधिकरणों की प्रतिबद्धता और बैंकिंग संबंधी जोखिमों की एक अधिक सही पहचान को प्रमाणित करते हैं। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के कार्यान्वयन का विशेष उल्लेख किया गया है, विशिष्ट रूप से जोखिम और पूँजी के निर्धारण के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) का; चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और बड़ी एक्सपोज़र सीमाओं के चरणबद्ध रूप में कार्यान्वयन का भी तथा यह रिपोर्ट कहती है कि हाल ही में स्थापित बड़े ऋणों संबंधी सूचना की केन्द्रीय रिपोज़िटरी (सीआरआईएलसी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आईबीआई) को एक सुदृढ़ पर्यवेक्षी प्रवर्तन ढाँचा उपलब्ध कराएगी। यह स्वीकार करती है कि पीएसबी और बैंक बोर्ड ब्यूरोओं के पुनरुद्धार के लिए इन्द्रधनुष योजना सहित बैंकिंग सुधारों ने पारदर्शिता के एक युग का प्रारंभ करने में सहायता पहुँचाई है तथा ये अनुशासन में सुधार लाये हैं एवं भारत में अशोध्य ऋणों की समस्या का समाधान करने में एक लंबी अवधि तक ये मददगार साबित होंगे।

बासेल मुख्य सिद्धांतों (बीसीपी) संबंधी विस्तृत निर्धारण रिपोर्ट (डीएआर) 2.11 ट्रिलियन (लगभग 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के पुनःपूँजीकरणकी घोषणा

से पहले तैयार की गई थी तथा इस रिपोर्ट में उल्लिखित पीएसबी के अल्पपूँजीकरण का प्रभावी ढंग से समाधान इस योजना के द्वारा किया गया है जैसा कि 21 दिसंबर 2017 को जारी किये गये `भारत के लिए वित्तीय प्रणाली स्थिरता निर्धारण (एफएसएसए)~ में पहले ही टिप्पणी की गई है।

सीसीपी प्रणाली संबंधी सीसीआईएल के निर्धारण तथा वित्तीय बाजार के बुनियादी ढाँचे (पीएफएमआई) के प्रयोज्य सिद्धांतों के समक्ष टीआर प्रणालियों की बेंचमार्किंग से संबंधित डीएआर में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उक्त सीसीआईएल प्रणालियों में सिद्धांतों के अनुपालन की उच्च मात्रा विद्यमान है। सीसीआईएल के पास एक विवेकसम्मत जोखिम प्रबंध ढाँचा और उच्च परिचालनात्मक विश्वसनीयता है। सीसीआईएल को रिज़र्व बैंक द्वारा परोक्ष पर्यवेक्षण और स्थान पर प्रत्यक्ष निरीक्षण के भी अधीन रखा गया है। सीसीआईएल की उप-विधियाँ, नियम, और विनियम उसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे नेटिंग, निपटान की निर्णयात्मकता और व्यतिक्रम की प्रक्रियाओं के संबंध में अपेक्षित कानूनी आधार उपलब्ध कराते हैं। सभी खंडों में जहाँ सीसीआईएल सीसीपी समाशोधन सेवा प्रदान करता है, दिन में बाजार भाव पर दर्शाने (मार्क्ड टू मार्केट) के मार्जिन और अस्थिरता मार्जिन का संग्रहण करने के लिए एक क्रियाविधि विद्यमान है तथा व्यतिक्रम को सँभालने का एक स्थापित वॉटरफ़ाल विद्यमान है। प्रत्येक खंड में सहभागियों से भी यह अपेक्षित है कि वे उक्त व्यतिक्रम निधि में अंशदान करें। इसके अतिरिक्त, सीसीआईएल ने अपने बचाव के उपाय के रूप में एक निपटान आरक्षित निधि की स्थापना की है।

उक्त निर्धारण रिपोर्टों में की गई सिफारिशें मुख्य रूप से वित्तीय प्रणाली की संरचना और कार्यचालन में आगे और सुधार लाने के लिए हैं तथा कई विस्तृत सिफारिशें प्राधिकरणों की स्वयं की विकासात्मक योजनाओं के साथ समक्रमण के अनुरूप हैं। समग्र रूप से उक्त दोनों डीएआर क्रमशःबीसीपी और पीएफएमआई के उच्च परिमाण में अनुपालन को प्रतिबिंबित करती हैं तथा उक्त प्राधिकरण इन क्षेत्रों में आगे और सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।